



# बिहार सरकार, कृषि विभाग



कृषि भवन, गीतापुर, पटना - 800001

ई-मेल-diragri-bih@nic.in

वेबसाइट-state.bihar.gov.in/krishti/CitizenHome

दूरभाष/फैक्स-0612-2215895

पत्र संख्या-डी०बी०टी०(पी०एम०-किसान)-30/2021 खंड 367 / कृ०, डी०बी०टी०, पटना, दिनांक 01/08/2023

प्रेषक,

डॉ० आलोक रंजन घोष,  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषय :-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल के Verification Module V1, V2 & V3 में लंबित किसानों के आवेदन को रद्द करते हुए SMS के माध्यम से सूचित करने तथा भारत सरकार के पी०एम०-किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) के माध्यम से आवेदन लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सभी रैय्यत किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए दिनांक 01.12.2018 से लागू किया गया था। राज्य के किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल [www.dbtagriculture.bihar.gov.in](http://www.dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाकर आवेदन देने का प्रावधान किया गया है। ऑनलाईन आवेदन एवं जमीन संबंधित दस्तावेज का सत्यापन तीन स्तर क्रमशः पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक, प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी एवं जिला स्तर पर अपर समाहर्ता (राजस्व) के द्वारा किया जाता है तथा पुनर्विचार एवं पुनःपुनर्विचार में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन अंचलाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता (राजस्व) द्वारा डी०बी०टी० पोर्टल के माध्यम से करने के उपरांत तीनों स्तरों से पूर्णरूपेण अनुमोदित आवेदनों को मुख्यालय स्तर से भारत सरकार को लाभ प्रदान करने हेतु अग्रसारित किया जाता है। विदित हो कि डी०बी०टी० पोर्टल पर कृषि समन्वयक के लॉगिन में कुल 32,061 अंचलाधिकारी के लॉगिन में कुल 1,39,039 जिला कृषि पदाधिकारी के लॉगिन में कुल 25,499 तथा अपर समाहर्ता (राजस्व) के लॉगिन में कुल 9,334 आवेदन लंबित हैं यथा कुल नए आवेदन (V1) 1,03,905 पुनर्विचार हेतु लंबित आवेदन (V2) 90,704 एवं पुनःपुनर्विचार में 11,324 आवेदन (V3) सत्यापन हेतु लंबित हैं। आवेदन के सत्यापन के क्रम में दाखिल-खारिज की तिथि की प्रविष्टि के साथ-साथ खाता, खेसरा एवं रकबा को भी अद्यतन करने एवं भूमि दस्तावेज को अपलोड करने की सुविधा अंचलाधिकारी के लॉगिन में दी गई है।

ज्ञात हो कि अंचलाधिकारी स्तर पर लाभुकों के आवेदन में दाखिल-खारिज की तिथि की प्रविष्टि में समस्या आ रही है एवं बहुत से ऐसे किसानों के आवेदन हैं जिनके दाखिल-खारिज की तिथि उपलब्ध नहीं और न ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर दर्ज है। साथ ही बहुत से किसानों के आवेदन में खाता या खेसरा या रकबा 'शून्य' प्रदर्शित हो रहा है, जिसको अद्यतन करना अंचलाधिकारी स्तर पर सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त के आलोक में पी०एम०-किसान के Verification Module (V1), (V2) एवं (V3) में लंबित किसानों के आवेदन को डी०बी०टी० पोर्टल ([www.dbtagriculture.bihar.gov.in](http://www.dbtagriculture.bihar.gov.in)) से रद्द करते हुए SMS के माध्यम से सूचित करते हुए उन्हें भारत सरकार के पी०एम०-किसान के पोर्टल (pmkisan.gov.in) के माध्यम से आवेदन करने तथा उसका सत्यापन अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी तथा जिला स्तर पर अपर समाहर्ता (राजस्व) के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(डॉ० आलोक रंजन घोष)

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

# बिहार सरकार, कृषि विभाग



कृषि भवन, मीठापुर, पटना - 800001

वेबसाइट - state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome

दूरभाष/फैक्स- 0612-2215895

ज्ञापांक:- 3671

दिनांक:- 01/08/2023

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3671

दिनांक:- 01/08/2023

प्रतिलिपि:- सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3671

दिनांक:- 01/08/2023

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), बिहार/सभी अपर समाहर्ता (राजस्व), बिहार/ सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3671

दिनांक:- 01/08/2023

प्रतिलिपि:- सभी जिला कृषि पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/कर्मी यथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/किसान सलाहकार को इस आशय से सूचित करना सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3671

दिनांक:- 01/08/2023

प्रतिलिपि:- श्री भानु प्रताप सिंह, योजना परामर्शी, पी0एम0-किसान/श्री सत्य प्रकाश, सहायक निदेशक (पी0एम0-किसान)/श्री कृष्णा चौधरी, वरीय प्रोग्रामर डी0बी0टी0 कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। नए, पुनर्विचार एवं पुनःपुनर्विचार में आवेदकों के लंबित आवेदनों को रद्द करने तथा भारत सरकार के पी0एम0-किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर Farmer Corner अंतर्गत New Farmer Registration मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन करने के लिए SMS के माध्यम से सूचित करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

P. S. S. S.